

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-16.09.2026

थाना हरैया पुलिस व थाना छावनी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति का अश्लील वीडियो बनाते हुए डरा-धमका कर आनलाईन पैसा ट्रांसफर करने वाले संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद पिस्टल, चार जिन्दा कारतूस, रुपये 17,140/- (लूट के), घटना में प्रयुक्त कार व चार मोबाईल किया गया बरामद-

थाना हरैया पुलिस व थाना छावनी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत एक पुरोहित का अश्लील वीडियो बनाते हुए गाली गलौज, मार-पीट व डरा-धमका कर आनलाईन पैसा ट्रांसफर करने के संबंध में थाना हरैया पर पंजीकृत मु०अ०सं०-264/2026 धारा- 140(1), 308(2), 309(4), 115(2), 352, 351(2), 3(5) BNS से **संबंधित 02 अभियुक्तों** यथा क्रमशः 1-सूरज मिश्र पुत्र स्व० उमाशंकर मिश्र, 2-श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी को दिनांक-16.09.2026 को समय करीब 04:30 बजे बैलाडे शुक्ल मोड से गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से 1-एक अदद पिस्टल व चार जिन्दा कारतूस, 2-लूट के रुपये 17,140/- नगद, 3-चार मोबाईल (दो आईफोन व दो एन्ड्रॉयड), 4-घटना में प्रयुक्त काले रंग की कार गाड़ी संख्या-UP32RS3752 बरामद किया गया।**

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-264/2026 में धारा-3/25 Arms Act की वृद्धि कर बरामद शुदा घटना में प्रयुक्त कार को अंतर्गत धारा- 207 M.V. Act के तहत सीज करते हुए अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- सूरज मिश्र पुत्र स्व० उमाशंकर मिश्र उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मल्हूपुर थाना छावनी जनपद बस्ती।
- 2- श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रेवरा दास थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद पिस्टल व चार जिन्दा कारतूस।
- 2- लूट के रुपये 17,140/- नगद।
- 3- चार मोबाईल (दो आईफोन व दो एंड्रॉयड)।
- 4- घटना में प्रयुक्त काले रंग की कार गाड़ी संख्या-UP32RS3752।

घटना का संछिप्त विवरण-

दिनांक-15.09.2026 को संबंधित पुरोहित द्वारा थाना हरैया पर तहरीर प्राप्त हुआ कि उनके पास 1- सूरज मिश्र द्वारा फोन कर त्यागी पेट्रोल पंप बड़हर कला पर बुलाया गया जिनसे वह पूर्व परिचित होने के नाते मौके पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद 1-सूरज मिश्रा पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर मिश्रा 2-श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी व 3-सत्यम तिवारी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मुड़वरा थाना छावनी जनपद बस्ती ने उन्हें काले रंग की स्विफ्ट कार नंबर-UP32RS3752 में बैठा कर उन्हें हरदिया स्कूल ले जाकर अश्लील वीडियो बनाकर गाली-गलौज व डरा-धमका कर उनके खाते से रुपये 1,00,000/- ट्रांसफर करा लिए एवं साथ ही उनके झोले से बीस हजार रूपए नगद भी छीन लिए, जिस पर थाना हरैया पर मु०अ०सं०-264/2026 धारा-140(1), 308(2), 309(4), 115(2), 352, 351(2), 3(5) BNS पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-सूरज मिश्र पुत्र स्व० उमाशंकर मिश्र, 2-श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी को दिनांक-16.09.2026 को समय करीब 04:30 बजे बैलाडे शुक्ल मोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1-एक अदद पिस्टल व चार जिन्दा कारतूस, 2-लूट के रुपये 17,140/- नगद, 3-चार मोबाईल (दो आईफोन व दो एन्ड्रॉयड), 4- घटना में प्रयुक्त काले रंग की कार गाड़ी संख्या-UP32RS3752 बरामद कर गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-264/2026 में धारा-3/25 Arms Act की वृद्धि कर बरामद शुदा घटना में प्रयुक्त कार को अंतर्गत धारा- 207 M.V. Act के तहत सीज करते हुए अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगो ने ही नीरज दुबे पुत्र यदुनाथ दुबे निवासी शंभूपुरा थाना छावनी जनपद बस्ती के साथ मार-पीट, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए लूट की घटना कारित किये थे | हम लोगो ने नीरज दुबे को जान से मारने की धमकी देते हुए उससे अपने एक मित्र के खाते में रुपये 1,00,000/- जबरजस्ती डलवाये थे व उसके पास रखे रुपये 20,000/- लूट लिये थे | हम दोनों के साथ एक अन्य व्यक्ति 3-सत्यम तिवारी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मुड़वरा थाना छावनी जनपद बस्ती भी था जो हम लोगों के साथ पूरी तरह सम्मिलित था | हम लोग एक राय होकर इस घटना को अंजाम दिये थे | अभियुक्त 1-सुरज मिश्रा द्वारा बताया गया कि मैं नीरज दुबे से 5-6 साल पूर्व से परिचित हूँ, जिनसे मेरी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी एवं आज हुई है, जिसके पहले हम लोगो की सिर्फ मैसेज व फोन से बात होती थी | मैंने नीरज दुबे को मिलने के लिए बड़हर कला पेट्रोल पम्प पर बुलाया था, जहां मेरे साथ मेरी गाड़ी में 2-श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी व 2-सत्यम तिवारी पुत्र अज्ञात भी पहले से बैठे हुए थे | हम लोग जब अपनी स्विफ्ट कार गाड़ी संख्या-UP32RS3752 को लेकर पेट्रोल पम्प पर पहुंचे तो नीरज दुबे मौजूद मिले, जिन्हें हम लोग गाड़ी में बैठा कर हरदिया प्राईमरी स्कूल पर ले जाकर उनके साथ मार-पीट, गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर उनके पास झोले में रखे रुपये 20,000/- लेकर उन्हें पिस्टल दिखा कर जान से मारने की धमकी देते हुए उनके यू०पी०आई० एकाउंट से रुपये 1,00,000/- अपने मित्र गौतम कुमार के एकाउंट में डलवाया था | अभियुक्त 2- श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी के पास से बरामद पिस्टल के बारे में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग ताबेपुर जनपद गोण्डा (उ०प्र०) के एक तस्कर से खरीदे थे जिससे हम लोग परिचित नहीं है | हम लोग इस पिस्टल से लोगों को डरा-धमका कर उनको लूटने में प्रयोग करते थे | अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग जो रुपये 20,000/- लूटे थे जिसमें से रुपये 2,860/- खाने-पीने में खर्च कर दिये हैं जिसमें से बाकी बचे पैसे रुपये 17,140/- हम लोग के पास मौजूद है एवं हम लोग बहुत देर से यही आस-पास घूम रहे थे कि हम लोगों को पता चल गया था कि पुलिस हम लोगो को खोज रही है, इसलिए हम लोग इसी गाड़ी से हर्दिया चौराहे की तरफ गये थे फिर हम लोगो ने लखनऊ जाने के बारे में सोच कर लखनऊ जाने के लिए निकल रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1- सुरज मिश्रा पुत्र स्व० उमाशंकर मिश्र |

1. मु०अ०स०-110/2018 धारा-323, 354, 504, 506 IPC 7/8 पोक्सो एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती |
2. मु०अ०स०-02/2025 धारा 3/25 Arms Act थाना छावनी जनपद बस्ती |
3. मु०अ०स०-91/2025 धारा 115(2), 191(2), 324(4), 351(3), 352 BNS थाना हरैया जनपद बस्ती |
4. मु०अ०स०-48/2026 धारा 191(2), 351(3), 352 BNS थाना हरैया जनपद बस्ती |
5. मु०अ०स०-268/2025 धारा 109, 351(3), 352 BNS थाना नगर जनपद बस्ती |
6. मु०अ०स०-264/2026 धारा 140(1), 308(2), 309(4), 115(2), 352, 351(3), 3(5) BNS व 3/25 Arms Act थाना हरैया जनपद बस्ती |

2- श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी |

1. मु०अ०स०-188/2022 धारा 323, 506 IPC थाना छावनी जनपद बस्ती |
2. मु०अ०स०-751/2017 धारा 504, 506 IPC थाना हरैया जनपद बस्ती |
3. मु०अ०स०-189/2024 धारा 115(2), 191(2) BNS थाना हरैया जनपद बस्ती |
4. मु०अ०स०-91/2025 धारा 115(2), 191(2), 324(4), 351(3), 352 BNS थाना हरैया जनपद बस्ती |
5. मु०अ०स०-48/2026 धारा 191(2), 351(3), 352 BNS थाना हरैया जनपद बस्ती |
6. मु०अ०स०-188/2025 धारा-127(2), 140(2), 310(2), 311, 317(3), 351 (2) BNS थाना परसरामपुर जनपद बस्ती |
7. मु०अ०स०-70/2022 धारा 323, 504, 506 IPC थाना दुबौलिया जनपद बस्ती |
8. मु०अ०स० 264/2026 धारा 140(1), 308(2), 309(4), 115(2), 352, 351(3), 3(5) BNS व 3/25 Arms Act थाना हरैया जनपद बस्ती |

पुलिस टीम का विवरण-

- 1- प्रभारी निरीक्षक हरैया संजय कुमार जनपद बस्ती |
- 2- प्रभारी निरीक्षक छावनी राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस टीम जनपद बस्ती |
- 3- उ0नि0 अजय कुमार मिश्र, उ0नि0 कामेश्वर मिश्र, उ0नि0 मनोज यादव थाना हरैया जनपद बस्ती |
- 4- हे0का0 दीपराज यादव, का0 राजेश मौर्या, का0 नारेन्द्र कुमार व का0 ज्ञान प्रकाश वर्मा थाना हरैया जनपद बस्ती |

